मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-12

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2005 (फाल्गुन 10, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा द्वितीय चक्र में 1 प्रश्न पर सदन में चर्चा हुई।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 116 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 82 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के नगर श्योपुर में आदिवासी छात्रा की छात्रावास में मृत्यु होने,

(2) श्री निशिथ पटेल, सदस्य ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित किये जाने,

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य ने सीधी जिला जनपद पंचायत सिहावल में स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यरत भृत्यों को नियम विरूद्ध वेतन मिलने,

(4) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने सीधी जिले में बरगंवा से परसोना एवं मढ़ा मार्ग की हालत खराब होने,

(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिला चिकित्सालय में क्षय रोग की दवाओं का अभाव होने,

(6) श्री ओमप्रकाश पुरोहित, सदस्य ने जिला मंदसौर की चन्द्रपुर एवं बराखेड़ी ग्राम पंचायतों को समाप्त करने के बाद पार्षद की सूची में सम्मिलित करने,

(7) श्री गजराजि सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना, सुमावली विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना ठप्प पड़ी होने,

(8) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य ने बैहर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत संकट होने, तथा

(9) श्री शिवराज शाह, सदस्य ने रायपुर (छत्तीसगढ़) से जबलपुर (म.प्र.) व्हाया मंडला के लिये निजी बसों के बंद होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 49 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2003-2004,

(2) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन का विधान सभा क्षेत्रवार पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा परिणाम वर्ष 2003-2004, पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्य ने जिला शिवपुरी में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(2) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य ने इन्दौर जिले के क्षिप्रा टोल टेक्स नाके पर अवैध वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

5. वक्तव्य

श्री हरनाम सिंह राठौर, जेल मंत्री ने दिनांक 17 नवम्बर, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 1195) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के -

(क) कृषि उपज मंडी लहार को नव निर्मित मंडी कार्यालय में स्थानांतरित कराये जाने,

(ख) ग्राम रावतपुरा से मड़ौरी नारददेव मंदिर मगरौल तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) कृषि उपज मंडी समिति आलमपुर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम वैशपुरा में आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित कराये जाने,
(ङ) लहार नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,
(च) लहार नगर में 132 के.वी. विद्युत् उप-केन्द्र का कार्य पूर्ण कराये जाने,
(छ) ग्राम टोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ज) ग्राम बिजोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(झ) ग्राम आलमपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बाउन्ड्रीवाल बनाने तथा पेयजल व्यवस्था कराये जाने,
(ञ) भिण्ड-भाण्डेर रोड से ग्राम अरूसी-रूरई तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ट) ग्राम आलमपुर स्थित शासकीय होम्योपैथिक अस्पताल का भवन निर्माण कराये जाने,
(ठ) अमाहा-बिजपुर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,
(ड) लहार नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय में साइन्स एवं कामर्स विषय की स्नातक कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,
(ढ) ग्राम बरौआ में 132 के.वी. विद्युत उप केन्द्र की स्थापना कराये जाने,
(ण) ग्राम अरूसी स्थित हाई स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने,
(त) ग्राम दबोह से सलैया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(थ) दबोह सलैया मार्ग पर ज्ञानपुरा के पास पुलिया का निर्माण कराये जाने,
(द) ग्राम सुन्दरपुरा से अन्तियनपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ध) मिहोना नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारंभ कराये जाने,
(न) लहार-वैशपुरा सड़क मार्ग की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने,
(प) लहार से छतारेपुरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(फ) मुरैना जिले के ग्राम चंदोखर में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

7. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन कार्यक्रम

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2005-2006 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2005 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

(2) नाम निर्देशन प्रपत्रों की जांच शनिवार, दिनांक 5 मार्च, 2005 को अपराह्न 3.00 बजे से होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधानसभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

8. वक्तव्य

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने बुन्देलखण्ड के विकास हेतु बीना रिफायनरी शुरू करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

9. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई :-

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(1) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 07	वाणिज्यिक कर के लिए तीन सौ उन्हत्तर करोड़, पैतीस लाख, पच्चीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 11	वाणिज्य एवं उद्योग के लिए बावन करोड़, बासठ लाख, बयासी हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 11	1,2,7

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

सभापति महोदय (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई.

(2) श्री ध्यानेन्द्र सिंह
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री बृजेन्द्र तिवारी

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(5) श्री नारायण त्रिपाठी
(6) श्री निशिथ पटेल
(7) श्री दिलीप सिंह परिहार
(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(9) श्रीमती संध्या राय
(10) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(11) डॉ. गोविन्द सिंह

(चर्चा अपूर्ण)

10. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कल अपराह्न 1.00 बजे विधानसभा परिसर स्थित आडिटोरियम में परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, परमाचार्य, बिहार योग विद्यालय, मुंगेर का योग साधना से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होने का कष्ट करें।

11. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः) (पूर्वानुबद्ध)

(12) श्री शंकर लाल तिवारी
(13) श्री आरिफ अकील
(14) श्री बहादुर सिंह चौहान

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 06	वित्त के लिए बीस सौ चौवन करोड़, अठाहर लाख, नवासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए पच्चीस करोड़, चवालीस लाख, छियासी हजार रूपये,

अनुदान संख्या - 38	रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए दो लाख, इक्कीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 50	बीस सूत्र कार्यान्वयन के लिए दो करोड़, छप्पन लाख, पचासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए एक सौ बाईस करोड़, अड़तीस लाख, इकतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 74	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए दो करोड़ रूपये,
अनुदान संख्या - 89	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-वित्त विभाग के लिए एक हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 06	2,3,6
मांग संख्या - 31	2,3
मांग संख्या - 38	2,4
मांग संख्या - 74	2

मांग संख्या 6, 31,38,50,60,74 तथा 89 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव और मांगों के प्रस्ताव पर एक साथ मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए चौदह सौ नब्बे करोड़, सैतीस लाख, तिरसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 91	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-स्कूल शिक्षा के लिए एक हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 95	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए तीन सौ अस्सी करोड़, छत्तीस लाख, इकसठ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 27	4,6,11
मांग संख्या - 91	3,4,7,9
मांग संख्या - 95	4,5

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

(भाषण अपूर्ण)

(चर्चा अपूर्ण)

5.58 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 02 मार्च 2005 (फाल्गुन 11, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.